राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4929/2023

नरेश पाटीदार पुत्र श्री लवजी पाटीदार, उम्र लगभग 19 वर्ष, ग्राम/पोस्ट धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर (राजस्थान), अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, पंचशील नगर, अजमेर अपने सचिव के माध्यम से।
3. रोहित पाटीदार पुत्र श्री हीरा लाल पाटीदार, डूंगरपुर थ्रू एस ई (ओ एंड एम) एवी.वी.एन.एल, डूंगरपुर, रोल नंबर 233501194

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	सुश्री उर्मिला चौहान
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री एच.एस. चुंडावत
		श्री महावीर बिश्नोई – ए ए जी
		श्री राजेश पुनिया

माननीय श्रीमान. जस्टिस अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

10/12/2024

1. याचिका कर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (संक्षेप में 'एवी.वी.एन.एल') के अंतर्गत बीसी-नॉन क्रीमी लेयर टीएसपी क्षेत्र में

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/697/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को सुबह 08:38:09 बजे डाउनलोड किया गया)

तकनीकी सहायक-III के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रतिवादियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। तर्क यह है कि, योग्यता सूची के अनुसार, याचिका कर्ता, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3, से कम योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति की पेशकश की गई है।

2. प्रासंगिक तथ्य पहले।

2.1 प्रतिवादी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (संक्षेप में 'जे.वी.वी.एन.एल') ने तकनीकी हेल्पर- III के पद पर सीधी भर्ती के लिए दिनांक 04.02.2022 को एक विज्ञापन जारी किया। एवीवीएनएल में टीएसपी क्षेत्र के लिए भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या 80 थी, जिनमें से 41 पद अनारक्षित थे, एससी वर्ग के लिए 4 पद और एसटी वर्ग के लिए 35 पद थे। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विज्ञापन के खंड 3 के अनुसार, उम्मीदवार के पास आरबीएसई/सीबीएसई या किसी समकक्ष बोर्ड से माध्यमिक की योग्यता के साथ-साथ इलेक्ट्रीशियन/लाइनमैन/एसबीए/वायरमैन/पावर इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में आईटीआई (एनसीवीटी/एससीवीटी)/एनएसी या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

2.2. याचिका कर्ता ने पूर्णतः पात्र होते हुए, एवी.वी.एन.एल के लिए बीसी नॉन-क्रीमी लेयर, टी.एस.पी श्रेणी में उक्त पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा में भाग लिया। परिणाम घोषित होने पर, याचिका कर्ता ने ऑनलाइन परीक्षा में 102 अंक और सामान्यीकरण के बाद 100.26655 अंक प्राप्त किए। उसे शॉर्ट लिस्ट किया गया और 21.01.2023 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया।

2.3. याचिका कर्ता दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ और एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि एक पेपर, "ट्रेड थ्योरी" का परिणाम प्रतीक्षित है, और वह परिणाम घोषित होते ही उसे प्रस्तुत कर देगा। बाद में, परिणाम घोषित किया गया और उसे

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/697/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को सुबह 08:38:09 बजे डाउनलोड किया गया)

23.01.2023 को, अर्थात् दस्तावेज़ सत्यापन दौर की अंतिम तिथि, अर्थात् 25.01.2023 से पहले, आईटीआई द्वारा अपेक्षित योग्यता डिप्लोमा प्रदान किया गया।

2.4. दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, अंतिम परिणाम 17.02.2023 को घोषित किया गया, और एवी.वी.एन.एल में टी.एस.पी क्षेत्र के अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंक 96.28660 थे। इसके बाद, एवी.वी.एन.एल ने तकनीकी हेल्पर-III के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की, और प्रतिवादी संख्या 3, जिसने 96.28660 अंक प्राप्त किए, को याचिका कर्ता से कम मेधावी होने के बावजूद, बीसी-नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में चुना गया।

2.5. प्रतिवादी ए.वी.वी.एन.ए ने दिनांक 01.03.2023 को तकनीकी सहायक-III के पद हेतु नियुक्ति आदेश जारी किया, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 3 का नाम क्रम संख्या 42 पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में अंकित है। अतः यह रिट याचिका।

3. प्रति वादियों ने अपने उत्तर में यह रुख अपनाया है कि: 3.1. परीक्षा की योजना और प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी में उम्मीदवारों की संख्या के डेढ़ गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जो 18.01.2023 से 25.01.2023 तक मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार सभी कंपनियों की सामान्य मेरिट सूची के आधार पर आयोजित किया गया था। चूंकि याचिका कर्ता ने 100.26655 अंक प्राप्त किए थे, जो एवी.वी.एन.एल (टी.एस.पी क्षेत्र) में यूजर श्रेणी में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए निर्धारित कट ऑफ अंकों 90.31667 से अधिक थे, इसलिए उन्हें 21.01.2023 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था। उस तिथि तक उनके पास योग्यता डिप्लोमा प्रमाणपत्र नहीं था।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/697/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को सुबह 08:38:09 बजे डाउनलोड किया गया)

3.2. विज्ञापन के खंड 3 के साथ संलग्न नोट संख्या 1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि दस्तावेज़ सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि तक उम्मीदवार के पास अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए। चूकि याचिका कर्ता के पास दस्तावेज़ सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि तक अपेक्षित योग्यता नहीं थी, इसलिए तकनीकी सहायक-III के पद पर नियुक्ति हेतु उसकी उम्मीदवारी पर विचार न करना उचित ही था।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. विवाद का सार और सार जिस पर निर्णय की आवश्यकता है वह यह है कि क्या याचिका कर्ता, जिसे दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि अर्थात 25.01.2023 के विपरीत 23.01.2023 को आईटीआई द्वारा डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, वह इसके लाभ का हकदार है?

6. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हाँ में है। कारण ढूँढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आइए देखें कैसे। सबसे पहले, मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि प्रति वादियों के बचाव को स्वीकार करने से एक असंगत स्थिति पैदा होगी जहाँ दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि, सत्यापन के लिए बुलाए जाने के समय के आधार पर, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग होगी। इसका मतलब यह होगा कि सत्यापन तिथि कुछ उम्मीदवारों के लिए अंतिम तिथि बन जाएगी, जबकि बाद में बुलाए गए अन्य उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिलेगा। इस तरह की असंगति से अधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाई का खतरा रहता है।

7. मेरे विचार से, योग्यता शिक्षा में प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान और सुसंगत होनी चाहिए। इसे रेत के बहाव की तरह समझने के बजाय, एक

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/697/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को सुबह 08:38:09 बजे डाउनलोड किया गया)

निश्चित और स्पष्ट मील का पत्थर आवश्यक है। इसलिए, दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को ही वह अंतिम तिथि माना जाना चाहिए जिसके द्वारा उम्मीदवारों को अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ प्राप्त करनी होंगी।

8. याचिका कर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 (96.28660) की तुलना में अधिक अंक (100.26655) प्राप्त किए, जिनकी नियुक्ति उसी पद पर हुई थी, इसमें कोई विवाद नहीं है। उन्होंने 25 जनवरी, 2023 को दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले, 23 जनवरी, 2023 को आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली थी। याचिका कर्ता के दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि (21 जनवरी) को योग्यता की कट-ऑफ मानने से उन्हें बाद में सत्यापित अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में नुकसान होगा। ऐसी असंगतता अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमानी है।

9. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रति वादियों को याचिका कर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है और यदि याचिका कर्ता योग्य पाया जाता है, तो उसे उसी विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने वाले अन्य सफल उम्मीदवारों की तरह, उसी पद पर नियुक्ति की पेशकश की जाएगी। याचिका कर्ता "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा, लेकिन अन्य सभी काल्पनिक लाभ और वरिष्ठता उसे उसी तिथि से प्रदान की जाएगी, जिस तिथि से उसके सम कक्षों को प्रदान की गई थी। यदि कोई पद उपलब्ध नहीं है, तो उसे अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया जाएगा, क्योंकि चयन सूची में होने के बावजूद उसकी कोई गलती नहीं होने पर भी उसे नियुक्त नहीं किया गया था।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तदनुसार खारिज किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/697/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को सुबह 08:38:09 बजे डाउनलोड किया गया)

[2024: आर जे-जे डी:51300] [सी डब्ल्यू-4929/2023]

233-धनंजयएस/एके चौहान/-

रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/697/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को सुबह 08:38:09 बजे डाउनलोड किया गया)